To
The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Subject : - Action Taken Report regarding compliance of order 06-07-2022 passed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No.329/2021, Devanshu Bose vs. Agra Development Authority and others

<u>The updated status of the action taken by the Agra Development Authority in compliance with the order dated 06.07.2022 of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi:-</u>

1. In compliance to point no 1 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that work of setting up of STP for Sewage Treatment of Nalanda Town Colony, Shamsabad Road, Agra has been completed and the STP is under operation. Necessary works for use the treated water, coming out of S.T.P., for irrigation in plantations and parks have been done. Presently, sewage water is not being discharged on open land. The developer vide letter dated 04.11.2022 (Annexure-1) along with the photographs of the site has confirmed the above developments and the same has been confirmed by the residents of the colony by letter dated 04.11.22 (Annexure-2). Presently the STP is being operated by the developer. Resident Welfare Association shall be formed within 15 days by the residents of the colony and thereafter, it is proposed to transfer the STP to Resident Welfare Association by the developer. After the transfer, the regular operation and maintenance of the STP will be done by the Resident Welfare Association. At present, the treated water coming out of STP has been tested from Rajesh Scientific Lab, Agra. To get the treated water tested from the laboratory of Uttar Pradesh Pollution Control Board, online application for sample collection is under process.
2. In compliance to point no 2 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that the cost of construction STP has been borne by the developer of Nalanda Town Colony itself. No additional amount has been demanded from the residents of Nalanda Town Colony for the establishment of STP.
3. In compliance to point no 3 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that for not completing the STP, internal development work the developer of Nalanda Town Colony and

occupying/ giving possession without obtaining the completion certificate, is violation of the agreement made with the authority. Hence, punitive action under Section-33 of the U.P. Town Planning and Development Act, 1973 has been taken against the developer of Nalanda Town Colony. RC for recovery of equivalent value of the plots mortgaged by him has been issued on 22.06.2017 and the recovery of the same has been done. Moreover, First Information Report has been registered against the developer on 23.04.22 under Section 420, 270 of the Indian Penal Code for violation of the agreement

As per Joint Committee report, STP has been installed by Developer at Nalanda Town Colony. At present, the treatment of sewage of Nalanda Town Colony is being done through STP. In compliance with the instructions given by the Joint Committee before the establishment of STP, removal of the sewage collected on the vacant land outside the gate of Nalanda Town Colony was started immediately after withdrawal of state model code of conduct and sewage was removed by tanker between date 22-04-22 to 10-05-22, and disposed at Dhadhupura STP, and the same was mentioned in action taken report submitted on dated 05.07.22. UPPCB has imposed environmental compensation of Rs 2,13,98,438.00 against the developer for disposing sewage on open land. Agra Development Authority has fully complied to order passed by Hon'ble NGT and the instructions of the joint committee.

4. In compliance to point no 4 of Hon'ble NGT order, ADA has informed that in compliance of Hon'ble NGT order, action taken report with updated status has been submitted on 05.07.22.
5. Under point no.5 of Hon'ble N.G.Torder,the action taken report submitted by the authority dated 05.07.22, in compliance with the earlier order dated 24.03.22 has been referred to, on which no comment is required.
6. In compliance to point no 6 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that during non-availability of STP, the sewage water collected at the site, was removed by the Authority through tankers from 22.04.22 to 10.05.22. As far as the operation and maintenance of STP of Nalanda Town Colony is concerned, it is the responsibility the R.W.A./Residents of Nalanda Town Colony.
7. In compliance to point no 8 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that during non-availability of STP in Nalanda Town Colony, sewage was disposed at other STP through tankers. Even

during the construction of the STP, the sewage water flowing on the road outside the gate of the colony was being continuously disposed by the Authority through tankers into the sewer line of Tajnagari Yojana Phase-2, which was treated at Dhandhupura STP. At present, STP has been established in Nalanda Town Colony and sewage of Nalanda Town Colony is being disposed of through this STP.

8. In compliance to point no 7,9,10,12 of Hon'ble NGT order, Agra Development Authority has informed that at present the sewage of Nalanda Town Colony is being treated at S.T.P. Presently, sewage water is not going on open land. The treated water of STP is being used for irrigation of parks located in the colony. Project, amounting Rs. 206.05 crore, for construction of drains for disposal of treated water, left over from irrigation etc. of Nalanda Town Colony and surrounding 500 hectare areas has been prepared by Construction & Design Services, Unit-35, U. P. Jal Nigam,Agra. At present, out of the said area, about 150 hectare area has been included under the municipal limits. Action is being taken to prepare a revised project for water drainage under the remaining area of about 350 hectares. STPs have been established/operated under 06 colonies developed in the said area. Completion certificate has been issued on completion of STP and all other works in 04 colonies. In the remaining colonies, strict instructions have been given to the developers to obtain completion certificates

It has been informed by the General Manager, Gangajal Project Unit, U. P. Jal Nigam (Urban), Agra that at present 09 STPs with total capacity of 220.75 MLD are under operation while sewage generation in Agra is 286 MLD. Construction 03 nos STPs and 10 DSTPs with total capacity 177.60 MLD is in progress under Namami Gange programme. After completion of the said STPs, the capacity for STP will increase to 398.35 MLD against present estimated sewage generation of 286 MLD.

Thanks and Regards

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary
Urban Development Department,
Government of Uttar Pradesh

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
ओ.ए. सं0–329/2021
देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति :–

1. आदेश के बिन्दु सं0–1 के सम्बन्ध में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी शमशाबाद रोड के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एस.टी.पी. से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर को पार्कों में सिचाई हेतु उपयोग हेतु आवश्यक कार्य करा लिये गये हैं जिससे ट्रीटेड वाटर से प्लान्टेशन तथा पार्क में सिंचाई का कार्य कराया जा सकेगा। वर्तमान में सीवेज का पानी खुली भूमि पर नहीं जा रहा है तथा एस.टी.पी. संचालित है। विकासकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.11.2022 **(संलग्नक–1)** द्वारा स्थल के फोटोग्राफ सहित सूचित किया गया है जिसकी पुष्टि कालोनी के निवासियों द्वारा पत्र दिनांक 04.11.22 **(संलग्नक–2)** द्वारा की गई है। वर्तमान में एस0टी0पी0 का संचालन विकासकर्ता द्वारा कराया जा रहा है। 15 दिन के अन्दर कालोनी के निवासियों द्वारा रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन का गठन करने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा एस0टी0पी0 रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। हस्तान्तरण के उपरान्त एस0टी0पी0 का नियमित संचालन व रख–रखाव रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा कराया जायेगा। वर्तमान में एस0टी0पी0 से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर की जांच राजेश साइंटिफिक लैब, आगरा से करायी गयी है। ट्रीटेड वाटर की जांच उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की प्रयोगशाला से कराये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सैम्पल भेजा जा रहा है।

2. आदेश के बिन्दु सं0–2 के कम में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा एस. टी.पी. के निर्माण की लागत स्वयं वहन की गई है। अतः एस.टी.पी. की स्थापना हेतु नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों से कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की गयी है।

3. आदेश के बिन्दु सं0–3 के सम्बन्ध में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा कालोनी में एस.टी.पी. तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न करने तथा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन करने जिसमें बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये कालोनी में अध्यासन कराने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–33 के अन्तर्गत विकासकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उसके द्वारा बन्धक रखे गये भूखण्डों के समतुल्य मूल्य की वसूली हेतु आर.सी. दिनांक 22.06.2017 को ही जारी कर दी गई थी, जिसकी वसूली की जा चुकी है। अनुबंध का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 270 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.04.22 को पंजीकृत करायी गयी है।

संयुक्त समिति की आख्या के कम में नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य विकासकर्ता द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का ट्रीटमेंट एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है। एस.टी.पी. की स्थापना से पूर्व में संयुक्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर रिक्त भूमि पर एकत्रित सीवेज युक्त जल को प्रदेश में जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के तुरन्त बाद शीघ्र कार्यवाही करते हुये टैंकरों के माध्यम से दिनांक 22.04.22 को आरम्भ कर दिनांक 10.05.22 तक सीवेजयुक्त जल को स्थल से पूर्ण रूप से हटाते हुये धांधुपुरा स्थित संचालित एस.टी.पी. में निस्तारित कर दिया गया था, जिसका उल्लेख दिनांक 05.07.22 को प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट में किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा सीवेजयुक्त जल खुले में बहाने के कारण पर्यावरण को हुई हानि के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा रू0 2,13,98,438.00 का अर्थदण्ड विकासकर्ता पर आरोपित किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश तथा गठित संयुक्त समिति के निर्देशों का पूर्णतयाअनुपालन कर लिया गया है।

4. आदेश के बिन्दु सं0–4 के सम्बन्ध में कहना है कि प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के कम में दिनांक 05.07.22 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी थी।

5. आदेश के बिन्दु सं0–5 के अन्तर्गत मा0 एन.जी.टी. द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.03.22 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 05.07.22 का उल्लेख किया गया है, जिस पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

6. आदेश के बिन्दु सं0–6 के सम्बन्ध में कहना है कि तत्समय एस.टी.पी. की व्यवस्था न होने के कारण स्थल पर एकत्रित सीवेजयुक्त जल को प्राधिकरण द्वारा टैंकरों के माध्यम से दिनांक 22.04.22 से दिनांक 10.05.22 तक हटाते हुये स्थल से साफ करा दिया गया था। जहां तक नालन्दा टाउन कालोनी के एस.टी.पी के अनुरक्षण का प्रश्न है संचालित एस.टी.पी. के रख–रखाव व संचालन का उत्तरदायित्व नालन्दा टाउन कालोनी के आर.डब्लू.ए./निवासियों द्वारा ही किया जाना है।

8. आदेश के बिन्दु–8 के सम्बन्ध में कहना है कि तत्समय नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की व्यवस्था न होने के कारण टैंकरों के माध्यम से सीवेज अन्य एस.टी.पी. के माध्यम से निस्तारित किया गया था। एस.टी.पी. के निर्माणाधीन होने के दौरान भी कालोनी के गेट के बाहर सड़क पर बहने वाले सीवेजयुक्त जल को भी प्राधिकरण द्वारा टैंकरों के माध्यम से लगातार ताजनगरी योजना फेस–2 की सीवर लाइन में डालते हुये धांधुपुरा एस.टी.पी. में निस्तारित किया जाता रहा है। वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना की जा चुकी है तथा नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का निस्तारण एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है।

7, 9, 10, 12– आदेश के इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कहना है कि वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का निस्तारण एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है। सीवेजयुक्त जल खुली भूमि पर नहीं जा रहा है। एस.टी.पी. से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर का उपयोग कालोनी में स्थित पार्कों की सिंचाई आदि में किया जा रहा है। सिंचाई आदि से बचे हुये ट्रीटेड वाटर के निस्तारण हेतु नालन्दा टाउन कालोनी व आस पास के क्षेत्र में जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण हेतु जल निगम यूनिट–35, आगरा द्वारा पूर्व में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रू0 206.05 करोड़ का तैयार किया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में से लगभग 150 हैक्टे0 क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित हो गया है। अवशेष लगभग 350 हैक्टे0 क्षेत्रफल के अन्तर्गत जल निकासी हेतु संशोधित प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत क्षेत्र में 06 कॉलोनियों के अन्तर्गत एस0टी0पी0 स्थापित/संचालित किया जा चुका है। 04 कॉलोनियों में एस0टी0पी0 तथा अन्य समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। शेष कॉलोनियों में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विकासकर्ताओं को कड़े निर्देश दिये गये है।

महाप्रबन्धक गंगाजल परियोजना ईकाई, उ0प्र0 जल निगम नगरीय आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में आगरा नगरीय क्षेत्र में 09 एस0टी0पी0 220.75 एम.एल.डी. क्षमता के कार्य कर रहे है जबकि सीवेज का जेनरेशन 286 एम.एल.डी. है। उ0प्र0 शासन द्वारा नवामी गंगे योजना के अन्तर्गत 03 एस.टी.पी. एवं 10 डी.एस.टी.पी. का निर्माण प्रगति में है जिनकी केपेसिटी 177.60 एम.एल.डी. स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सीवेज के निस्तारण हेतु केपेसिटी बढ़ जायेगी, जो कि 398.35 एम.एल.डी. हो जायेगी, जबकि सीवेज जेनरेशन 286 एल.एल.डी. आंका गया है।

प्र0सहा0अभि0(भवन) सहा0अभि0(खण्ड–2) नगर नियोजक अधि0अभि0(खण्ड–2)

मुख्य नगर नियोजक मुख्य अभियन्ता

(संलग्नक -1)

NALANDA
BUILDERS AND DEVELOPERS (I) LTD.

कर्मेव जयते

Ist Floor, Shanti Mall, Church Road, Ram Nagar, Agra
Ph.: 2522590
CIN : U45201UP2005PLC030688
Web : www.nalandabuilders.com
Date ....

Ref. No.

दिनांकः-04.11.22

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नालन्दा टाउन कालोनी में सीवेज के निस्तारण के लिए एस0टी0पी0 संयन्त्र की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। एस0टी0पी0 से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर से पार्क में सिंचाई हेतु पाइप लाईन डाल दी गयी है, जिससे एस0टी0पी0 से निकलने वाले पानी सिंचाई में काम आ सके। दिनांक 02.11.22 को आपके कार्यालय में कालोनी वासियों श्री डी0एल0यादव, श्री आर0के0सिंह, श्री डी0एस0तोमर, श्री नरायन सिंह के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी थी कि 15 दिन तक एस0टी0पी0 का संचालन विकासकर्ता द्वारा कराया जायेगा। 15 दिन के अन्दर कालोनीवासी रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे। तत्पश्चात् एस0टी0पी0 का संचालन व रख-रखाव आर0डब्लू0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा। उपरोक्त सहमति के आधार पर हमारे द्वारा एस0टी0पी0 का संचालन किया जा रहा है जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। कालोनीवासियों द्वारा एस0टी0पी0 के सचांलन की पुष्टि की गई है जिसका पत्र संलग्न है। एस0टी0पी0 से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर की जांच हमारे द्वारा प्राइवेट लैब से करायी गयी है जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर देंगे। उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ट्रीटेड वाटर के सैम्पल की जांच कराकर रिपोर्ट शीघ्र ही आपको प्रस्तुत कर दी जायेगी। कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

अंकुर दुबे
(निदेशक)
मै0नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स(आई0)लि0

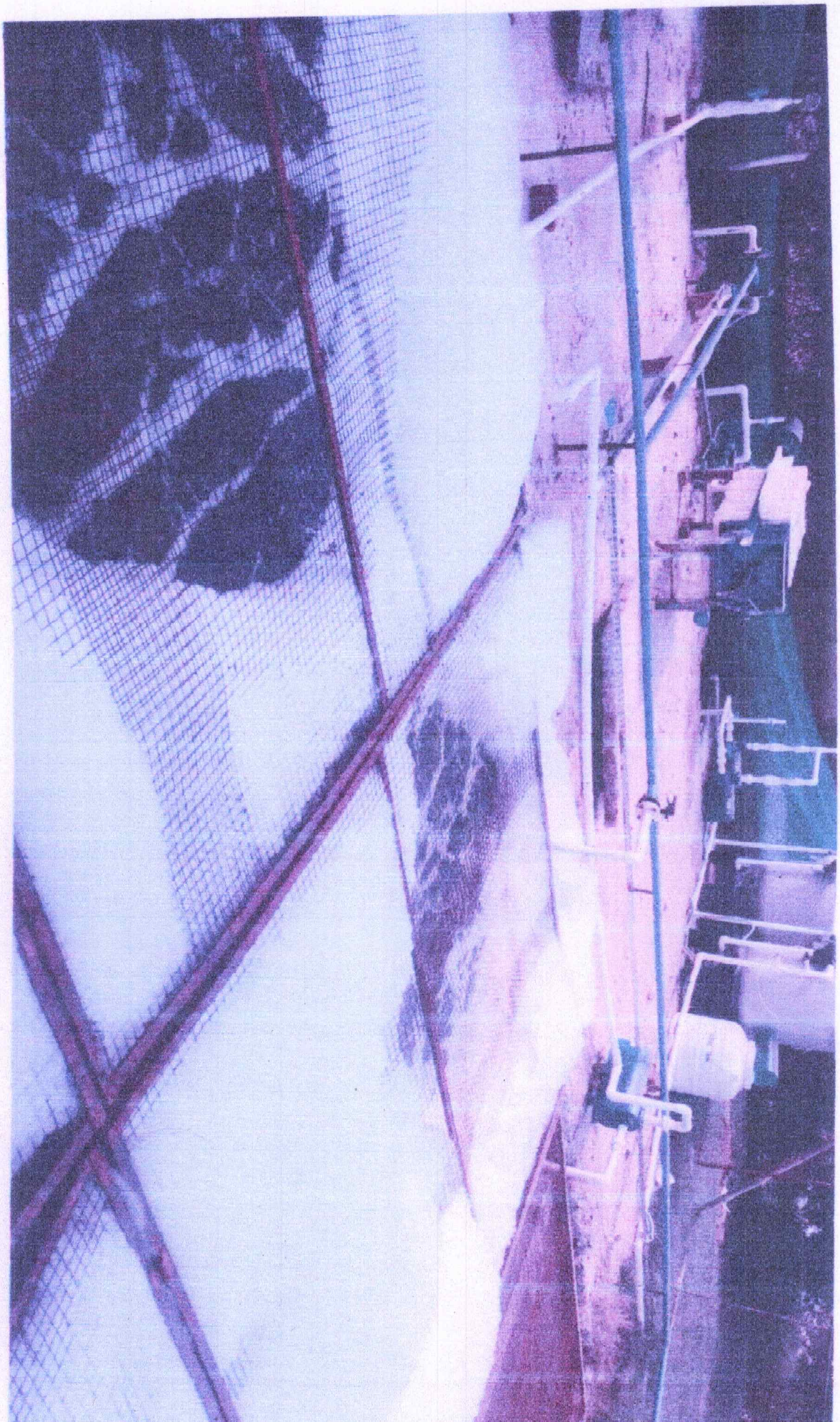

M.G.F.
A.C.F.
PUMP-1
PUMP-2
DOSING TAN

(संलग्नक-2)

सेवा में ,
उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः—नलन्दा टाउन कॉलोनी, रजरई रोड, ताजगंज, आगरा में एस0टी0पी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि कॉलोनी के विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त कॉलोनी में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में एस0टी0पी0 चालू हालत में है।

दिनांक 05/11/2022

प्रार्थीगण
नि0—नालन्दा टाउन कॉलोनी

मकान सं0	नाम	हस्ताक्षर
3, 4	हार्दिक	Hardik
187	Garmit	[illegible]
191	तोमर	Tomar ji
211(F)	Akash	[illegible]
211(B)	[illegible] Singh	[illegible]
115	Mudit	[illegible]
113	Jyoti	
112	[illegible]	[illegible]
174	वीरेन्द्र दिवान	[illegible]
245	सुरेश त्यागी	[illegible]

सेवा में ,

उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः—नलन्दा टाउन कॉलोनी, रजरई रोड, ताजगंज, आगरा में एस0टी0पी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि कॉलोनी के विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त कॉलोनी में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में एस0टी0पी0 चालू हालत में है।

दिनांक 07/11/2022

प्रार्थीगण

नि0—नालन्दा टाउन कॉलोनी

मकान स0	नाम	हस्ताक्षर
136	Alishba	Alishba 7/11/22
140	Arman Khan	Arman